SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No371.117	Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant	
in the second of	'अलगाठी विभाग अट गाहर रेज्ला - किंग
The More Care	रिज्ला - मिछ
Name, parentage, ca	aste and address of accused
->m2a(-	s10 स्वालाल विवहर
3五 - 60	८१० सुखलाल ब्रिक्टर वर्ष निर्णामिश्वा (भी)
ε	ा भी
The offence, complainant of,	and date of, its alleged commission
	The state of the s
	कि दिनांक 30/11/17 मुकाम
भव्यी डे पास कियाना दुरान आधिपत्य में लीटर/पाव/बोतल !	पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने ते स्वाक्ष शिराब विकय / परिवहन हेतु रखी।
	0 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।	
🖚 😁 क्या आपको उक्त अपराघ	स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
	THER .
	The state of the s
The plea of the accused a	nd his examination (if any)
गपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का नि	विदन है।

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub-section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय// (आज दिनांक 22/12/17) को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
 - 02. सक्षिप्त विचारण किथा गया। जतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक रवीकारोक्ति के अध्यार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराएं जाता. है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
 - 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की संजा एवं रूपये क्रक्श शब्दों में क्रिन्य स्ती रेन्स्य रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर ी दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
- 04 जप्तशुदा सम्पत्ति हाराव जप्तशुदा सम्पत्ति । इत्व मृत्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मानव अपील न्यायालय के आहेश का पालन किया जावे।